न्यायालय माननीय सदस्य महोदय (सर्किट कोर्ट रीवा) राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

रिव्यू / 4118 – II –15

रामाश्रय शर्मा तनय श्री रामजी शर्मा, पेशा कृषि व वकालत निवासी म.नं. 11 / 133 तिलक नगर रीवा, जिला रीवा, (म0प्र0) ———————— आवेदक

बनाम्

1– श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री रामलखन मिश्रा,

2– प्रमोद कुमार तनय रामागोविन्द मिश्रा मृतक

माननीय न्या. के आदेश पत्रिका दि. 3/8/17 के पालन में संशोधन किया गया- अना. क्र. 2 द्वारा वैध वारिस- (अ) ऊषा मिश्रा पत्नि स्व. प्रमोद कुमार (ब) सत्यम् (स) शिवम (द) सुन्दरम् तीनो के पिता स्व. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा नाबा. जरिये वली संरक्षिका माता ऊषा मिश्रा स्व. प्रमोद मिश्रा सभी निवासी- ग्राम+पोस्ट - गौरी तह. हनुमना जिला - रीवा (म.प्र.)

दोनो निवासी ग्राम गौरी, तह0 हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

3– के0पी0 मिश्रा तनय कमला प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम गजरहा, तह0 हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

4– श्रीमती सोनिया कुशवाहा पत्नी श्री राजभान कुशवाहा निवासी ग्राम चिरकिटिहा, तह0 हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

———————— अनावेदकगण

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा के निग.प्र.क.3649–3 / 2013 में पारित आदेश दि. 02.12.2015 के विरूद्ध पुर्नविलोकन आवेदन पत्र। अंतर्गत धारा 51 एवं धारा 32म.प्र.भू.रा.सं.1959 ई.

महोदय,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि भूमि ख0क0–77 / 88 / 1क रकवा 1.95½ए. एवं 77 / 88 / 1ख रकवा 1.27ए. स्थित ग्राम चिरकिटिहा,प0ह0 शाहपुर, तह0 हनुमना, जिला रीवा, के भूमि स्वामी रामाश्रय शुक्ल तनय स्व0 रामनरेश शुक्ल थे। उक्त भूमियां ख0क0–77 / 88 / 1क रामाश्रय शुक्ल को जरिये वारिसाना एवं ख.क. 77 / 88 / 1ख जरिये पंजीकृत विभाजन विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1996 के माध्यम से उनके पिता स्व0 रामनेरश शुक्ल से प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वे काबिज दखील थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 4118–दो/2015 पुनरावलोकन जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-06-18	पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3649–तीन/2013 निगरानी में पारित अंतिम आदेश दिनांक 2–12–2015 पर से प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में तत्का. सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्र0क0 3649–तीन/2013 निगरानी में पारित अंतिम आदेश दि0 2–12–2015 के तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि इस आदेश में विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश के पद 7 एंव 8 में इस प्रकार निष्कर्ष दिये है :– पद 7 – अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13-8-13 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 30-10-2012 स्थिर रखते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन शाखा रीवा के जांच प्रतिवेदन दिनांक 28-3-11/25-3-11 के अनुसार तथा इसके संलग्न मौके की स्थिति के कब्जे एंव विकय पत्रों में अंकित चौहद्दी के अनुसार तैयार किए गये नक्शा दिनांक 15-3-2011 के आधार पर नक्शा तर्मीम की कार्यवाही करें। पुनः नक्शा तर्मीम की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 11-6-10 स्थिर रहेगा तथा नवीन आदेश पारित होने पर यह आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। पद 8 – चूँकि रिव्यु प्रकरण कमांक 3499-तीन/2014 विद्यावती विरूद्ध रामाश्रय एंव रिव्यु प्रकरण कमांक 4375-तीन/13 प्रमोदकुमार विरूद्ध	

रामश्रय में भी समान पक्षकार एंव समान भूमि विवाद होने से तथा आवेदक एंव अनावेदक व्दारा भी उक्त दोनों रिव्यु प्रकरणों का निराकरण भी इसी प्रकरण में पारित आदेश के साथ करने का निवेदन किये जाने पर उभय पक्ष के निवेदन को स्वीकार किया जाकर इस निगरानी प्रकरण कमांक 3649–तीन/13 विद्यावती विरूद्व रामाश्रय में पारित यह आदेश उक्त दोनों रिव्यु प्रकरणों में भी प्रभावशील होगा।

प्रथमतः पद 8 के निष्कर्ष का यही आशय प्रतीत होता है कि उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण का निराकरण किया गया है। तत्कालीन सदस्य व्दारा विस्तृत विवेचना करके **Speaking Order** पारित किया है जो ठोस आधारों पर आधारित है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार बताये गये हैं :–

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 2–12–2015 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल की गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 2–12–2015 यथावत रखते हुये पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है।

सदस्य